



**BHARAT
SARKAR**

भारत सरकार/ वित्त मंत्रालय
Govt. of India / Min. of Finance
सीमा शुल्क के आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs
Airport Special Cargo Commissionerate (APSC)
Avas Corporate Point, Andheri-Kurla Rd,
Mumbai-59

हवाई पतन विशेष कार्गो, आवास कॉर्पोरेट प्वाइंट, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी
पूर्व, मुंबई 59



**INDIAN
CUSTOMS**

F. No. GEN/RFD/MISC/12/2024-CRC

Date:06-08-2025

सार्वजनिक सूचना/PUBLIC NOTICE No. 38/2025

विषय/Subject: सीमाशुल्क में धन वापसी एप्लिकेशन और प्रक्रिया का ऑटोमेशन/ Automation of Refund Application and Processing in Customs - reg.

सभी आयातको/ निर्यातको/सीएचए और सभी संबंधितों का ध्यान सीबीआईसी द्वारा जारी परिपत्र संख्या 05/2025-सीमाशुल्क दिनांकित 17.02.2025 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सीमाशुल्क में धन वापसी एप्लिकेशन और प्रसंस्करण के ऑटोमेशन के संबंध में है।

Kind attention of all the Importers/Exporters/CHAs and all concerned is invited towards the Circular No. 05/2025-Customs dated 17.02.2025 issued by CBIC regarding automation of refund application and processing in Customs.

2. धन वापसी के इलेक्ट्रॉनिक संवितरण के लिए, सीमाशुल्क धन वापसी एप्लिकेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया और संवितरण विकसित किया गया है और इसे सीमाशुल्क ऑटोमेशन प्रणाली पर सक्षम किया गया है।

For electronic disbursal of refunds, an online processing and disbursal of Customs duty refund application has been developed and is enabled on the Customs Automated System.

3. इस संबंध में, संदर्भ की सुविधा के लिए सीबीआईसी द्वारा जारी परिपत्र संख्या 05/2025-सीमाशुल्क दिनांक 17.02.2025 संलग्न है जिसमें धन वापसी की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

In this regard, for ease of reference Circular No. 05/2025-Customs dated 17.02.2025 issued by CBIC is attached herewith wherein key aspects relating to the electronic processing of refund have been elaborated.

4. कोई भी मैनुअल धन वापसी एप्लिकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि सीमाशुल्क के प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा लिखित रूप में इसकी अनुमति न दी जाए।

No manual refund application shall be accepted, unless the same is allowed by the Pr. Commissioner/Commissioner of Customs, for the reasons to be recorded in writing.

5. सभी आयातकों/निर्यातकों/सीएचए और अन्य संबंधितों से अनुरोध है कि वे परिपत्र संख्या 05/2025-सीमाशुल्क दिनांकित 17.02.2025 में बताए गए प्रमुख पहलुओं से स्वयं को अवगत कराएं।

All the Importers/Exporters/CHAs and other concerned are hereby requested to apprise themselves of the key aspects as indicated in the Circular No. 05/2025-Customs dated 17.02.2025.

6. सभी आयातकों/निर्यातकों/सीएचए और अन्य संबंधितों से अनुरोध है कि वे अपने सभी आगामी धन वापसी दावे केवल ऑनलाइन (आईसीईगेट पोर्टल) मोड के माध्यम से ही दाखिल करें, क्योंकि बिना किसी

वैध कारण के कोई भी मैनुअल धन वापसी एप्लिकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

All the Importers/Exporters/CHAs and other concerned are hereby also requested to file all their future refund claims through online (ICEGATE Portal) mode only as no manual refund application shall be accepted without any valid or plausible reason.

7 . इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को कार्यालय के ध्यान में लाया जाए।

Any difficulty noticed in the implementation of this Public Notice may be brought to the notice of this office.

इसे सीमा शुल्क आयुक्त (ए पी एस सी) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।/This issues with the approval of the Commissioner of Customs (APSC).

(Jayashree A. Tupkar)
(जयश्री ए. तुपकर)
Asstt. Commissioner of Customs,
सहायक सीमा शुल्क आयुक्त
APSC Commissionerate, Mumbai Zone-III
ए पी एस सी आयुक्तालय, मुंबई क्षेत्र-III

Copy to:

1. Addl. Commissioner of Customs, O/o the Pr. Chief Commissioner of Customs, Mumbai Zone-III
2. DC/EDI for uploading on website
3. All Departmental officers
4. Notice Board, APSC
5. Record